संख्या –200/1–10–2010–12(72)/2009

प्रेषक,

एस0एन0 शुक्ला,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद, चन्दौली एवं सोनभद्र।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 20 जनवरी, 2010

विषयः वर्ष 2009–10 में दैवी आपदा (सूखा) से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आपात स्थिति में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आप द्वारा उपलब्ध कराये गये धनावंटन प्रस्ताव के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में दैवी आपदा (सूखा) से प्रभावित व्यक्तियों को आपात स्थिति में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित कुल धनराशि रू0 1,15,99,300/– (रुपये एक करोड़ पन्द्रह लाख निन्यान्नबे हजार तीन सौ मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्र. सं.	जनपद का नाम	पत्र संख्या व दिनांक	आवंटित धनराशि
1.	इलाहाबाद	1139/आपदा–पेयजल आपूर्ति–09–10, दिनांक 22.9.09	3,40,500/–
2.	चन्दौली	305/आपदा राहत–09, दिनांक 16.11.09	7,18,300/–
3.	सोनभद्र	1124/मु0रा0लि0–दै0आ0–09–10, दिनांक 19.12.09	1,05,40,500/–
		योग	1,15,99,300/–

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03 –आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त धनराशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित आपदा राहत निधि की गाइडलाइन्स के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–जी0आई0–134/1–11–2007–46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 की अई मद संख्या–11 के अनुसार दैवी आपदा (सूखा) से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आपात स्थिति में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था मद में वास्तविक व्यय हुई धनराशि के सापेक्ष ही भुगतान किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षो के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

5. आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का पूर्ण विवरण शासन को 15 दिन में उपलब्ध करा दिया जाय तथा आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

6. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट पर **http//rahat.up.nic.in** पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 8 फरवरी, 2010 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

7. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

8. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

9. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(एस0एन0 शुक्ला)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या – 200 (1)/1–10–2010–12(72)/2009, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त– इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, इलाहाबाद, चन्दौली एवं सोनभद्र।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
6. समीक्षाधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
7. चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव